

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

शहर की वकास रेखा स्वच्छता के मानदण्ड पर आधारित है

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत सफाई मत्र समूह ने रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देकर शहर को नम्बर-1 बनाने का संकल्प दिलाया।

रतलाम 30 दिसम्बर । स्वच्छता का बच्चों से बूढो तक इसका वशेष महत्व रहा है। मानव शरीर को रोगमुक्त रखने के लए पर्यावरणीय शुद्धता के लए स्वच्छता की अनिवार्यता है। स्वच्छता केवल हाथ-मुँह-पैर धोने तक सी मत नहीं है। देश की वकास रेखा में भी स्वच्छता का सवशेष योगदान रहा है। शहर के वकास में कार्यरत वभूतियाँ सेवाकर्मियों को प्रोत्साहित कर सकती है। कसी भी शहर के वकास का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से आधार स्वच्छता पर निर्भर है। गरीबीए बेरोजगारीए निम्न स्वास्थ्यए अल्प शक्षाए निरक्षरता आदि में कहीं-न-कहीं अस्वच्छता जिम्मेदार है। डब्ल्यूएचओ का मंतव्य है क कसी भी शहर की वकास रेखा स्वच्छता के मानदण्ड पर आधारित है। लोगों का स्वयंमेव वकास सम्भव है। उक्त बात शहर के कचरा मुक्त स्थलों पर सफाई मत्र समूह द्वारा रांगोली निर्माण के दौरान पर्यावरण प्रेमी राकेश मोदी ने कही। इस मौके पर नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प जीवप्रेमी शैलेन्द्र गोठवाल ने दिलाया।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान 2021 के तहत शहर में वशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मत्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक कया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है क वे अपने कूडा केवल डोर टू डोर कूडा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मत्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीपदान कया गया है। इस दौरान कोवड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते

हुए लोगों से आव्हान किया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना  
गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 30 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालयों में कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार फ्रीगंज क्षेत्र में गंदगी व मलबा फैलाने पर नवल कशोर व न्यू राजस्थान मशीनरी पर 2500.2500ए प्रकाश टै<sup>ड</sup> डर्सए बालाजी एग्रोए गणेश टै<sup>ड</sup> डर्सए निलेश इन्टरप्राईजेसए महावीर टेन्ट हाउसए सतीश सोमानीए दीपक कोठारीए हर्ष अरोराए जयश्री टेन्ट हाउसए लाला खान पर 500.500 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाडे आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 30 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा 30 दिसम्बर बुधवार को मौमन पुरा व मौलाना आजाद नगर वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा करवाया गया।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

69 दिनों में 108 वॉल्व व 485 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 30 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 30 दिसम्बर तक 108 वॉल्व व 485 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ रतलाम जलशक्ति अभियान ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 30 दिसम्बर बुधवार को सन सटी के बाहरए शक्ति नगर अमलेटा हाउस के बाहरए सुभाष नगर सम्पवेल के पासए वनोबा नगर जय बाबा स्कूल के पास लीकेज दुरस्त करवाये जाने के साथ ही हाट की चौकी ऑटो स्टैण्ड के पास ऋतुराज सम्पवेल भरने वाले वॉल्व की मरम्मत करवाई गई। इसके अलावा सायर चबुतरा पर सार्वजनिक मुत्रालय की पाईप फटिंग व टंकी लगवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नगर के व भन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 30 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुवधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा बाल चकत्सालयए जिला चकत्सालयए रैन बसेरा सवक सेन्टरए पांजरा पोलए महू रोड बस स्टैण्डए रेलवे स्टेशनए नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के व भन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश रतलाम 30 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी। टीम आस्था के सदस्यों

द्वारा शवशंकर कालोनीए प्रताप नगरए सुभाष नगर में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें रतलाम 30 दिसम्बर। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी। स्वच्छ भारत मशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 30 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्ताए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला इस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

दिलबहार चौराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर  
बकाया रा श जमा कर अधभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें  
नागरिकों ने 58ए67ए854ए. संपत्तिकर व 27ए31ए050ए. जलकर जमा कराया  
संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह  
रतलाम 30 दिसम्बर । षासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19) वैश्विक  
महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी उद्योग-धन्धे में  
गरावट सर्वस सेक्टर आदि में षथलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित  
करों उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुफ्त जमा कराने पर अधभार (पेनल्टी)  
में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की  
सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड  
वार बकाया वसूली ष वर 26 अक्टूबर से आयोजित कये गये हैं जो 30 दिसम्बर तक  
चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर जलकर दुकान गुमटी  
कराया लायसेंस शुल्क एवं वकास षाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की  
बकाया रा ष एक मुफ्त रा ष जमा कर दी जा रही अधभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।  
निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में  
संपत्तिकर 2ए38ए224ए. व जलकर 43ए460ए.ए मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर  
3ए66ए429ए. व जलकर 43ए830ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर  
में संपत्तिकर 2ए69ए336ए. व जलकर 41ए850ए.ए वनोबा नगर पानी की टंकी के  
पास ष वर में संपत्तिकर 3ए94ए652ए. व जलकर 1ए06ए050ए.ए अलकापुरी  
कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर 4ए54ए616ए. व जलकर 84ए000ए.ए  
तिरूपति नगर में ष वर में संपत्तिकर 55ए700ए. व जलकर 14ए800ए.ए कोमल नगर  
ष वर में संपत्तिकर 65ए133ए. व जलकर 18ए430ए.ए इन्द्रलोक नगर ष वर में  
संपत्तिकर 1ए04ए310ए. व जलकर 37ए520ए.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर  
1ए63ए070ए. व जलकर 41ए200ए.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर  
54ए244ए. व जलकर 31ए700ए.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए87ए800ए. व  
जलकर 13ए500ए.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 89ए439ए. व  
जलकर 29ए500ए.ए डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर  
2ए23ए843ए. व जलकर 80ए000ए.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर

78ए232ए. व जलकर 24ए800ए.ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 95ए424ए.  
व जलकर 46ए350ए.ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए61ए000ए. व जलकर  
45ए500ए.ए लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर 2ए58ए000ए. व जलकर 90ए310ए.ए  
धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए39ए000ए. व जलकर 1ए58ए845ए.ए आनन्द  
कालोनी ष वर में संपत्तिकर 94ए633ए. व जलकर 24ए500ए.ए प्रताप नगर ष वर में  
संपत्तिकर 1ए31ए093ए. व जलकर 68ए580ए.ए महावीर नगर ष वर में जलकर  
45ए550ए.ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 5ए91ए492ए. व जलकर 1ए31ए930ए.ए  
चौगानिया भेरू मंदिर ष वर में संपत्तिकर 1ए71ए109ए. व जलकर 1ए26ए280ए.ए  
सायर चबुतरा षक्षा वभाग के पास आयोजित ष वर में संपत्तिकर 1ए55ए000ए. व  
जलकर 1ए24ए290ए.ए चौमुखी पुल ष वर में संपत्तिकर 2ए65ए000ए. व जलकर  
2ए31ए675ए.ए शास्त्रीनगर ष वर में संपत्तिकर 4ए03ए000ए. व जलकर  
2ए27ए300ए.ए दो बत्ती ष वर में संपत्तिकर 2ए46ए000ए. व जलकर  
3ए23ए910ए.ए दिलबहार चौराहा ष वर में संपत्तिकर 3ए31ए000ए. व जलकर  
4ए82ए390ए. की एक मुफ्त बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अ धभार में छूट का  
लाभ लया। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 58ए67ए854ए.  
संपत्तिकर व 27ए31ए050ए. जलकर की रा ष जमा कराई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की  
एक मुफ्त रा ष जमा कराने पर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ नागरिक अ धक से  
अ धक ले सकें इस हेतु वार्ड वार ष वर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक  
अपने वार्ड में लगाये जा रहे ष वर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुफ्त रा ष जमा  
कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं  
प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ  
झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास  
हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा  
अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये  
1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की  
छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) से अ धक  
बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ए. ;रूपये दस हजार) तक बकाया  
होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ए. ;दस  
हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार  
में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार)  
से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अधभार सहित कुल देय राष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 100 प्रतिषत की छूट अधभार सहित कुल देय राष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधभार सहित कुल देय राष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया राष वाईवार आयोजित बकाया ष वर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले 502 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 30 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 30 दिसम्बर तक 502 मवेश्यों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 30 दिसम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 502 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 30 दिसम्बर बुधवार को शहर सरायए लौहार रोडए नीम चौकए काटजू नगर व बैंक कालोनी से 9 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेश्यों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेश्यों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम

एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रूपये 500६. वसूल करेगा  
स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं. व.हेमन्त/30१12१2020धन.पा.निगमए रतलाम.